

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 13068/2024

राजेश कुमार पुत्र श्री रूपचंद , निवासी ग्राम सोनखर , तहसील- कठूमर , जिला- अलवर वर्तमान में सूर्यनगर मोड़, पंचशील पर रहते हैं। बुद्ध विहार , अलवर (राजस्थान)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, रजिस्ट्रार जनरल, जोधपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार परीक्षा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर (राज.

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री मुकेश कुमार वर्मा , अधिवक्ता,  
वी.सी. के माध्यम से  
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता,  
श्री विष्णु कांत शर्मा (अधिवक्ता) द्वारा सहायता प्राप्त।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान. मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव  
माननीय श्री. जस्टिस आशुतोष कुमार

आदेश

प्रकाशनीय

**05/09/2024**

1. प्रवेश पर सुनवाई।
2. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है जिसमें 09.07.2024 की अधिसूचना के तहत जिला न्यायाधीश के कैडर में पदों पर चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने के लिए परमादेश/निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संक्षेप में '2010 के नियम') के नियम 33 में निहित मौजूदा और लागू प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे वर्ष में, जिसमें ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई

थी, अपनी आयु के संबंध में परीक्षा में बैठने का हकदार होता, तो उसे अपनी आयु के संबंध में अगली परीक्षा में बैठने का हकदार माना जाएगा।

4. यह तर्क दिया गया है कि 2010 के नियमों के उपरोक्त प्रावधान को लागू करते हुए, दिनांक 09.07.2024 के विज्ञापन के खंड-10 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इस भर्ती के लिए आयु की गणना 01.01.2025 के आधार पर की जा रही है। इसलिए, वे उम्मीदवार, जो 01.01.2023 और 01.01.2024 को अपनी आयु के अनुसार पात्र होते, यदि अन्यथा पात्र होते, तो इस पद के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का आगे तर्क यह है कि विज्ञापन के खंड-10 के साथ पढ़े गए नियम में दिए गए प्रावधान को तर्कसंगत रूप से इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि ऐसी पात्रता उस वर्ष से संबंधित होनी चाहिए जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं, लेकिन उन रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती नहीं की जा सकी। विज्ञापन की विषय-वस्तु का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021 की बैकलॉग रिक्तियाँ और 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 की वर्तमान रिक्तियाँ भरी जा रही हैं और चूँकि 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 में कोई भर्ती नहीं हुई है, याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है और आयु में पाँच वर्ष की छूट का हकदार है, आयु मानदंड की पात्रता पूरी करता है, लेकिन उसे अवैध रूप से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 02.04.1971 है।

6. अग्रिम प्रति पर, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. शर्मा ने प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के नियमों और शर्तों के साथ पठित 2010 के नियमों में निहित मानी गई आयु पात्रता के प्रावधानों का उद्देश्य उन उम्मीदवारों की कठिनाई को कम करना है, जो उस वर्ष में पात्र थे, जिसमें भर्ती नहीं हुई थी और 2010 के नियमों के तहत प्रदान की गई यह मानी गई पात्रता मानदंड उस वर्ष के संदर्भ में नहीं है जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं क्योंकि पहले भी ये रिक्तियां वर्ष 2021 में पिछली भर्ती में खोली गई थीं जब 05.01.2021 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता, जिसने सभी छूटों के साथ 50 वर्ष की आयु सीमा पार कर ली थी, 01.01.2025 तक पात्र नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा वर्ष

2021 में आयोजित की गई थी, हालांकि बाद के वर्षों 2022 और 2023 में भर्ती शुरू नहीं हुई थी।

7. इस याचिका में उठाए गए विवाद को समझने के लिए, सीधी भर्ती के लिए पात्रता प्रदान करने वाले 2010 के लागू नियमों में निहित प्रावधानों का संदर्भ लेना आवश्यक है। नियमों का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत है :

**“33. सीधी भर्ती के लिए पात्रता.-** नियम 31 के उपनियम (3) के अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा उन अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जो पात्रता की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:-

(i) आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 45 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं की हो: बशर्ते कि

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिला उम्मीदवारों के मामले में ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में परीक्षा में बैठने का हकदार होता, जिसमें ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, तो वह अपनी आयु के आधार पर अगली परीक्षा में बैठने का हकदार समझा जाएगा।

(ग) यदि किसी कारणवश किसी विशेष वर्ष में लिखित परीक्षा/साक्षात्कार रद्द कर दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय को अगली परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को आयु में छूट देने का अधिकार होगा।

8. नियम 2010 के नियम 33 की निष्पक्ष और तार्किक व्याख्या से पता चलता है कि जिला न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवार को आयु की पात्रता इस प्रकार पूरी करनी होगी कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद जनवरी के पहले दिन 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 45 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

9. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है, जिसमें अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं।

10. 2010 के नियम 33 के उप-नियम (ख) में इस प्रकार मान्य पात्रता का प्रावधान है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में परीक्षा में बैठने का हकदार होता, जिसमें ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, तो उसे अपनी आयु के आधार पर अगली परीक्षा में बैठने का हकदार माना जाएगा। खण्ड (ग) में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कारणवश, किसी विशेष वर्ष में लिखित परीक्षा/साक्षात्कार रद्द कर दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय अभ्यर्थी को अगली परीक्षा में बैठने के लिए आयु में छूट प्रदान कर सकता है।

11. उपरोक्त मानदंडों को लागू करते हुए, 09.07.2024 को जारी विज्ञापन में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

**“धारा 10**

**आयु:-**

जिला न्यायाधीश के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद पहली जनवरी (01.01.2025) को 35 वर्ष होनी चाहिए तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि:-

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल), अति पिछड़ा वर्ग (एनसीएल), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिला उम्मीदवारों के मामले में ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट- आयु में उपरोक्त छूट केवल एक श्रेणी में ही मान्य होगी।

(ii) बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह आयु छूट राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में विभिन्न श्रेणियों को पहले से प्रदान की गई आयु छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट : - 2021 में जारी अंतिम अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए आयु की गणना 01.01.2022 के आधार पर की गई थी। इस भर्ती के लिए आयु की गणना 01.01.2025 के आधार पर की जा रही है। इसलिए, वे उम्मीदवार, जो 01.01.2023 और 01.01.2024 को अपनी आयु के संबंध में पात्र होते, यदि अन्यथा पात्र होते, तो वे भी पद के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।”

12. खंड 10 के साथ संलग्न नोट यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान भर्ती के लिए, आयु की गणना 01.01.2025 के अनुसार की जा रही है, जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद जनवरी का पहला दिन है। इसलिए, यह सही कहा गया है कि वे उम्मीदवार, जो 01.01.2023 और 01.01.2024 को अपनी आयु के अनुसार पात्र होते, यदि अन्यथा पात्र होते, तो वे भी इस पद के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।

13. याचिकाकर्ता ने न तो प्रासंगिक नियमों या विज्ञापन की शर्तों की वैधता को चुनौती दी है, बल्कि वह रिक्तियों के वर्ष के संदर्भ में स्वयं निर्मित फार्मूला का आविष्कार करके आयु के आधार पर पात्र होने का दावा करता है।

14. 2010 के नियमों की योजना, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और विज्ञापन की शर्तों में भी, रिक्ति की तिथि या वर्ष के संदर्भ में पात्रता के निर्धारण के लिए कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि संदर्भ 2010 के नियमों के नियम 33 के खंड (i) के परंतुक के उप-खंड (ख) में दिए गए तरीके से है। मानित पात्रता नियमों के तहत बनाई गई एक कल्पना है। यह मानित कल्पना भर्ती के वर्ष के संदर्भ में है, न कि उस वर्ष के लिए जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं। 2010 के नियमों में, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थों के आधार पर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें रिक्तियों के सृजन की तिथि के संदर्भ में नियमों के तहत बनाई गई कल्पना का विस्तार करने का अधिकार देता हो।

15. संक्षेप में, रिक्ति के वर्ष के संदर्भ में पात्रता का दावा करने वाले याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क कानून में मान्य नहीं हैं।

16. रिकॉर्ड को सीधे रखने के लिए, याचिकाकर्ता की स्वयं की दर्शाई गई जन्मतिथि के अनुसार भी, उसकी जन्मतिथि 02.04.1971 है, जिसका अर्थ होगा कि उसने 02.04.2021 को पचास वर्ष की आयु पूरी कर ली है। भले ही ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष की आयु में छूट के साथ 45 वर्ष है, जैसा कि 2010 के नियमों के तहत प्रदान किया गया है, याचिकाकर्ता निश्चित रूप से 01.01.2025 को 50 वर्ष की शिथिल ऊपरी आयु सीमा को पार कर जाएगा। 2010 के नियमों के नियम 33(i) प्रावधान (बी) में प्रदान किए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता उस वर्ष में पात्र होता जिसमें कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, तभी वह पात्रता का दावा

कर सकता था। भर्ती की अंतिम प्रक्रिया 05.01.2021 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई थी याचिकाकर्ता को भाग लेने की अनुमति दी गई क्योंकि पिछले वर्ष भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए, उसी फॉर्मूले को लागू करने वाले याचिकाकर्ता को पात्र माना गया। हालाँकि, वर्ष 2022 और 2023 में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी और केवल 05.01.2021 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई भर्ती की पिछली प्रक्रिया ही पूरी होने की प्रक्रिया में थी। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता वर्ष 2022 और 2023 में पात्र होता, यदि उन वर्षों में परीक्षा आयोजित की गई होती, तो केवल वह पात्रता का दावा कर सकता था। 2010 के नियमों को लागू करते हुए, यदि विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी किया गया होता, तो पात्रता 01.01.2023 के संदर्भ में तय की गई होती। 01.01.2023 को, पाँच वर्ष की आयु में छूट के साथ भी, याचिकाकर्ता की आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई थी। इसलिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2010 के नियमों के नियम 33 का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य सभी छूटों के साथ ऊपरी आयु सीमा पार करने के कारण अयोग्य माना गया है।

17. उपर्युक्त विचार के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार) , जे

(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

मोहिता /एमआर/14

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी